

**अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /19, लखनऊ :: दिनांक : 11 : अप्रैल-2019,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64 (3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित निम्नलिखित 02 द्वितीय अपीलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु श्री मो0 इब्राहीम, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम इलाहाबाद, श्री अम्बेश श्रीवास्तव सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, इलाहाबाद तथा श्री बुद्धेश मणि, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद को सम्मिलित करते हुए इलाहाबाद में पूर्णपीठ गठित की जाती है।

मुख्यालय द्वारा जारी खंड पीठ गठन आदेश को ध्यान में रखते हुए उक्त गठित पूर्णपीठ द्वारा द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु तिथियाँ अपने स्तर से निश्चित करते हुए द्वितीय अपीलों का निस्तारण किया जाये।

क्र0सं0	अपील संख्या	फर्म का नाम	धारा/नियम
1	409/16	सर्वश्री शेफा इंजीनियर्स प्रा0लि0 डी-07, साइट-4, इंड0 एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद।	---
2	410/16	सर्वश्री सी0एन0बी0इंजीनियरिंग, प्रा0लि0, डी-29, साइट- 4, इंड0 एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद।	2012-13 प्रवेश कर

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-11.06.19

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ 965 /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, गाजियाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-फैजाबाद।
- 4-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 6-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।